

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.

25/2022

तारीख रजु

12/08/2022

तारीख निर्णय

28-4-26

रामचरण पुत्र गोरया जाति गूर्जर निवासी ढाय तहसील गंगपुर सिटी हाल
तहसील तलावडा --वादी--

बनाम

1. रामपाल पुत्र सुगन
2. हरगोविन्द पुत्र सुगन (मृतक)
- 2/1 रूपसिंह पुत्र हरगोविन्द
- 2/2 धर्मसिंह पुत्र हरगोविन्द
- 2/3 कौशल्या पुत्री हरगोविन्द
- 2/4 चम्पी बेवा हरगोविन्द
3. अमरसिंह पुत्र धनजी
4. गुल्लोदेवी पत्नि धनजी
5. जतनसिंह पुत्र धनजी
- फूलसिंह पुत्र धनजी
- फूलबाई पुत्री धनजी
- कंचन पत्नि गुलजी
9. भगवानसिंह पुत्र गुलजी
10. पानबाई पुत्री गोरधन
11. मानबाई पत्री गोरधन
12. शेरसिंह पुत्र गोरधन जाति गूर्जर निवासी ढाय तह. तलावडा
13. हरीचरण पुत्र रामसहाय जाति गूर्जर निवासी बूचोलाई तह0 तलावडा
14. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तलावडा
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर हाल बैंक भारतीय स्टेट बैंक

सभी जाति गूर्जरनिवासी सभी
ढाय तहसील गंगपुर सिटी
हाल तहसील तलावडा



शाखा गंगापुर सिटी

शाखा प्रबन्धक इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी --प्रतिवादीगण--

दावा बावत विभाजन भूमि व स्थायी निवेधाना

तः श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की और से ।

श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2/2, 2/3, 2/4 व 3 ता 12 की और से।

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का पेश किया है कि खाता सं० 118 की आराजी हाल खसरा नं० 158 रकबा 0.71 हेक्टर, 162 रकबा 0.41 हेक्टर, 163 रकबा 0.37 हेक्टर, 287 रकबा 0.27 हेक्टर, 288 रकबा 0.26 हेक्टर, 290 रकबा 1.27 हेक्टर, 292 रकबा 0.63 हेक्टर, 295 रकबा 0.47 हेक्टर, 296 रकबा 1.06 हेक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.45 वाके ग्राम ढाय तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील तलावडा एंव खाता सं० 126 की भूमि ख०नं० 51 रकबा 0.31 हेक्टर, 52 रकबा 0.57 हेक्टर, 53 रकबा 0.25 हेक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 हेक्टर वाके ग्राम ढाय तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील तलावडा में स्थित हैं जो वादी एंव प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाशत की भूमि हैं। जिस पर पक्षकारान मौखिक विभाजन अनुसार काबिज रहकर अपने हिस्से की भूमि व फसल से लाभावित होते चले आ रहे हैं। विवादित भूमि खाता सं० 118 में वादी का 1/2 हैं तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 व 9 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा हैं। एंव खाता सं० 126 की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 व 2 तथा मृतक खातेदार गोरधन पुत्र सुगन के वारिसान प्रतिवादी सं० 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 3/10 हिस्सा, व प्रतिवादी सं० 13 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा हैं। पक्षकारान में उक्त दोनो खातो



लेक्टर
क मजिस्ट्रेट
गंगापुर

की भूमि का मौके पर मौखिक विभाजन कर रखा है। तथा मौखिक विभाजन

के अनुसार मौके पर काबिज काशत रहकर अपने हिस्से की भूमि व फसल से लाभावित होते चले आ रहे हैं। मौखिक विभाजन के अनुसार वादी के हिस्से व कब्जे में भूमि खानों 52, 158, 163, 288, 295, 296 पर पृथक रूप से कब्जा वादी का है। तथा इसी अनुसार वादी अपनी भूमि पर काबिज रहकर भूमि व फसल से लाभावित होता चला आ रहा है। कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन में बदनियति पैदा हो गयी इसलिये प्रतिवादीगण ने वादी की कब्जे की भूमि पर अनावश्यक रूप से वादी को उसके कब्जेकाशत में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया तथा वादी ने जब इस बाबत प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम मौखिक विभाजन को नहीं मानते, तुम्हें यदि भूमि काशत करनी है तो सरकारी कागजात में अपनी भूमि का खाता अलग करवालो। इस पर वादी ने दिनांक 30 मई 2022 को कहा कि सभी खातेदार मिलकर सहमति से तहसील में चलकर भूमि का विभाजन मौके अनुसार करवा लेते हैं। तो प्रतिवादीगण ने धमकी देकर कहा कि हम कहीं नहीं जायेंगे, तुम्हें यदि भूमि काशत करनी है तो तुम खुद बंटवारा करवालो, इसलिये वादी को यह दावा बाबत विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि खाता सं० 118 की आराजी हाल खसरा नं० 158 रकबा 0.71 हेक्टर, 162 रकबा 0.41 हेक्टर, 163 रकबा 0.37 हेक्टर, 287 रकबा 0.27 हेक्टर, 288 रकबा 0.26 हेक्टर, 290 रकबा 1.27 हेक्टर, 292 रकबा 0.63 हेक्टर, 295 रकबा 0.47 हेक्टर, 296 रकबा 1.06 हेक्टर कुल कित्ता 9 कुल रकबा 5.45 वाके ग्राम ढाय तहसील गंगपुर सिटी हाल तहसील तलावडा एवं खाता सं० 126 की भूमि खानों 51 रकबा 0.31 हेक्टर, 52 रकबा 0.57 हेक्टर, 53 रकबा 0.25 हेक्टर, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.13 हेक्टर वाके ग्राम ढाय तहसील गंगपुर सिटी हाल तहसील तलावडा का विभाजन मौके पर कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर विवादित भूमि में वादी के हिस्से 1/2 का खाता पृथक से दर्ज किया जावें। इसी प्रकार समस्त रेवन्यू रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर व लगान सरकार कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई



कलेक्टर
गंगपुर सिटी (संभाग)
(सं० नं०)

निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। बिना विभाजन भूमि को रहन बय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का तलव किया गया प्रतिवादीगण संख्या 212, 213, 2/4, 3 ता 12 कि ओर से श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा एडवोकेट द्वारा बकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 कीओर से तहसीलदार प्रतिनिधि उपस्थित हुये। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नहीं हुये। इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वाद पत्र के समर्थन मे वादी ने जमाबन्दी सम्बत 2073-76 खाता संख्या 118, जमाबन्दी सवत् 2073 से 2076 खाता संख्या 126 ग्राम ढाय तहसील तलावडा प्रस्तुत किये है।

दिनांक 30/01/2023 को प्रतिवादी संख्या 212, 213, 2/4 व 3 ता 12 के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु दिनांक 11/03/2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 20/04/2026 को विभाजन निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

हरिचरण पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 52 रकबा 0.5650 है0 बारानी ए सा0देह0 खातेदार।

अमरसिंह, फूलसिंह, जतनसिंह पुत्रान धनजी, फूलबाई पुत्री धनजी, गुल्लो पत्नि धनजी हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, हरिचरण पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/5, हरगोविन्द, गोरधन पुत्र सुगन हिस्सा 2/5 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 51 रकबा 0.31 है0 बारानी ए, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2500 है0 बारानी ए, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.50 है0 बारानी ए कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.5650 है0 सा0 देह0 खातेदार

रामचरण पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 158 रकबा



लेक्चर
मजिस्ट्रेट
(मंगला)

0.3550 है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा

0.21 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 295 रकबा

0.47 है0, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.0600 है0 सा0देह0 खातेदार।

अमरसिंह, फूलसिंह, जतनसिंह पुत्रान धनजी, फूलबाई पुत्री धनजी, गुल्लो पत्नि

धनजी हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी,

शेरसिंह पुत्र गोरधन, पानबाई, मानबाई पुत्रीया गोरधन हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट

बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, कंचन देवी पत्नि गुलजी, भगवान

सिंह पुत्र गुलजी हिस्सा 1/5, रामपाल पुत्र सुगन हिस्सा 1/5 राहिन इलाहाबाद

बैंक शाखा गंगापुर सिटी, हरगोविन्द, पुत्र सुगन हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक

इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 158 रकबा 0.

3550 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.4100 है0 खसरा नम्बर 287 रकबा

0.0600 है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा

0.63 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.7250 है0 सा0 देह0 खातेदार प्रस्तुत

की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि:-

रामचरण पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 52 रकबा 0.5650 है0 बारानी ए सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।




डिप्टी कमिश्नर
गंगापुर (सं. 10/10)

2. अमरसिंह, फूलसिंह, जतनसिंह पुत्रान धनजी, फूलबाई पुत्री धनजी, गुल्लो पत्नि धनजी हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, हरिचरण पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/5, हरगोविन्द, गोरधन पुत्र सुगन हिस्सा 2/5 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 51 रकबा 0.31 है0 बारानी ए, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2500 है0 बारानी ए, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.50 है0 बारानी ए कुल किता 3 कुल रकबा 0.5650 है0 सा0 देह0 के खातेदारनाम दर्ज की जावे।

3. रामचरण पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3550 है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.26 है0 खसर नम्बर 295 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.0600 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

4. अमरसिंह, फूलसिंह, जतनसिंह पुत्रान धनजी, फूलबाई पुत्री धनजी, गुल्लो पत्नि धनजी हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, शेरसिंह पुत्र गोरधन, पानबाई, मानबाई पुत्रीया गोरधन हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, कंचन देवी पत्नि गुलजी, भगवान सिंह पुत्र गुलजी हिस्सा 1/5, रामपाल पुत्र सुगन हिस्सा 1/5 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी, हरगोविन्द, पुत्र सुगन हिस्सा 1/5 राहिन स्टेट बैंक इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3550 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.4100 है0 खसरा नम्बर 287 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.63 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.7250 है0 सा0 देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जूज रहेगी पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे। निर्णय आज दिनांक 28.11.26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(सहायक कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर एवं
गंगापुर सिटी (म.स.स.)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी